

गुणवत्ता उत्तम माने वया/वेळ/माहीती
त्या गुणवत्ता या गुणवत्ता-ए वारु रीती
व्यावहारिक/व्यावहारिक गुणवत्ता उत्तम माने

आदेश
अभिमान

दोष/अदोष भावरा
दोष-
मीजात

दोष/अदोष
दोष/अदोष भावरा
भावरा

अभिमान

दोष/अदोष भावरा
भावरा

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 40/18

अनवान :

1. प्रताप पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. करणीसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. सतवीर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. विनोद पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. रजल पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. बाला पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा
88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 भोजासर में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बीएचडी के खाता सं० 108/103 के मु० न. 1 के किला न. 16/2, 17/2 22 ता 25, मु० न० 2 के किला न. 23, 24, मु० न० 5 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14 मु० न० 6 के किला न. 2 ता 9, 11 ता 15 कुल 7.769 हैक्टर जिसमें नहरी 7.480, खाला 0.276, रास्ता 0.013 में वादीगण 1 ता 4 का 4.858 हैक्टर भूमि मय खाला व रास्ता बहिस्सा बराबर व शेष भूमि 2.911 हैक्टर मय खाला व रास्ता प्रतिवादी श्रीराम के दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़